v/;k; 7

egkink icU/k % Hkkoh fodkl ifjn`';

7.1 पंचव ीय योजनाओं के दस्तावेजों में ऐतिहासिक तौर पर, अभी तक प्राकृतिक महापदाओं के प्रबंध तथा न्यूनीकरण संबंधी मुद्दों पर कोई विचार नहीं किया गया है। इस संबंध में पारंपरिक बोध विपत्ति में राहत पहुंचाने के कार्यों तक ही सीमित रहा है; और ये राहत–कार्य तत्वतः व्यय के योजना भिन्न मद माने जाते हैं। किंतु, इन महापदाओं के दुष्प्रभाव को केवल तात्कालिक राहत की व्यवस्था से ही कम नहीं किया जा सकता, क्योंकि तात्कालिक राहत प्राथमिक रूप से राहत कार्यों पर ही केन्द्रित रहती है। महापदाओं का अर्थव्यवस्था पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता हैं। वे जान–माल को भारी हानि पहुंचाते हैं और किसी क्षेत्र या राज्य विशेष में चल रहे विकास कार्यों के मार्ग में भारी बाधा उत्पन्न कर देते हैं। इस संदर्भ में हाल में आई दो महापदाओं का उल्लेख किया जा सकता है – उड़ीसा का चक्रवाती तूफान और गुजरात का भूकंप। देश व ा–प्रति–व ा जिस प्रकार की आर्थिक हानियां उठा रहा है और विकास के मार्ग में बाधाओं से जूझ रहा है, उन्हें देखते हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि विकास की प्रक्रिया महापदा के निवारण तथा न्यूनीकरण के पक्षों के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए अब विकास के परिप्रेक्ष्य में भी इन महापदाओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

7.2 अन्यच्च, यद्यपि महापदा का प्रबंध, साधारणतया, योजना वित्त से नहीं जुड़ा होता, फिर भी इस समय अनेक ऐसी योजनागत स्कीमें चल रही हैं, जैसे सूखे से बचाव, वनरोपण, पेय जल आदि की स्कीमें, जिनका उद्देश्य प्राक तिक महापदाओं के दु प्रभाव का निवारण और न्यूनीकरण है। महापदोत्तर पुनर्निर्माण और प्रबंध संबंधी संरचनाओं को सुचारु बनाने के लिए मिलने वाली विदेशी सहायता भी योजना का ही भाग है। विशि ट रूप से महापदा के प्रबंध के लिए ही एक केन्द्र–प्रायोजित स्कीम भी अस्तित्व में है। इसलिए महापदा से निपटने के लिए योजना में पहले से ही एक सुपरिभाि ात व्यवस्था की जा चुकी है।

7.3 हाल ही में, विशे ाज्ञ निकायों ने महापदा प्रबंध के संदर्भ में योजना आयोग की भूमिका तथा योजनागत निधियों के उपयोग का विशे ा विवेचन किया है। इस संबंध में ग्यारहवें वित्त आयोग तथा महापदा प्रबंध वि ायक उच्च ाक्ति संपन्न समिति द्वारा भी सुझाव दिए गए हैं। इन सुझावों के प्रकाश में, सुरक्षित विकास के लिए योजना–निर्माण पर एक सम्यक् दृि टकोण निर्धारित करने की आवश्यकता है।

7.4 इस अध्याय में उपर्युक्त मुद्दों पर विशद रूप में चिंतन किया गया है। इसमें भूमंडलीय संदर्भ की भी संक्षिप्त रूपरेखा दी गई है और महापदा के भारतीय अनुभव का भी संक्षेप में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा, इसमें महापदा प्रबंध की सांस्थानिक तथा वित्तीय व्यवस्था और इसके प्रति देश की प्रतिक्रिया बताई गई है, सुधार के लिए निर्देश दिए गए हैं और अंत में, दसवीं योजना की अवधि में सुरक्षित रा ट्रीय विकास के लिए योजना को सुकर बनाने की रणनीति बताई गई है।

HkeMyh; lnHk

7.5 पिछले व ों में, प्राक तिक महापदाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और इसके साथ ही, ाहरीकरण और जनसंख्या में वृद्धि के कारण हानियों की मात्रा बढ़ी है; परिणामस्वरूप प्राक तिक महापदाओं का प्रभाव अब अधिक व्यापक रूप में महसूस किया जा रहा है। संयुक्त रा ट्र की रिपोर्ट के अनुसार, अकेले 2001 में मध्यम तथा उच्च परास वाली प्राक तिक महापदाओं में विश्व भर में कम–से–कम 25,000 लोगों की जानें गई हैं, जो इससे पिछले व ा में हुई लोगों की मृत्यु से दोगुनी से भी अधिक हैं, और लगभग 36 अरब अमेरिकी डालर की हानि हुई है। ये आंकड़े और भी बढ़ जाएंगे यदि उन बहुत–सी छोटी–मोटी तथा अनभिलिखित महापदाओं के परिणामों को हिसाब में लिया जाएगा जो स्थानीय सामुदायिक स्तर पर बहुत अधिक नुकसान पहुंचाती हैं। गुजरात, एल सेल्वेडोर और पेरू में आए भयंकर भूकंप की विनाश लीला, अफ्रीका, एशिया और अन्य महाद्वीपों के अनेक देशों में आई बाढ़ों से हुई तबाही;

अफगानिस्तान सहित मध्य एशिया के अनेक देशों, अफ्रीका तथा मध्य अमेरिका में भयंकर सूखे की मार; मैडागास्कर और उड़ीसा के तूफान में हुआ व्यापक विनाश और बोलिविया में आई बाढ़ें –कुछ ऐसी भूमंडलीय घटनाएं हैं जिनकी याद अभी तरोताजा है। किंतु, इससे भी अधिक दिल दहलाने वाली बात यह है कि सर्वनाश और विध्वंस करने वाली इन आपदाओं पर अभी तक कोई काबू नहीं पाया जा सका है, बल्कि इनमें वृद्धि ही होती जा रही है।

7.6 प्राकृतिक महापदाएं किसी प्रकार की राजनीतिक सीमाओं में नहीं बंधी हैं और उन्हें किन्ही सामाजिक या आर्थिक परिस्थितियों से भी सरोकार नहीं होता। वे सीमाहीन हैं क्योंकि वे विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों को प्रभावित करती हैं। उनमें कोई दया–माया भी नहीं होती इसलिए कमजोर वर्ग इन प्राक तिक महापदाओं का अधिक शिकार होता है। उदाहरण के लिए, विकासशील देश इनसे अपेक्षाक त अधिक प्रभावित होते हैं, वहां जान–माल की हानि अधिक होती है; वहां की जनता को अधिक क ट झेलने पड़ते हैं और उनके समग्र घरेलू उत्पाद का कुछ प्रतिशतांश न ट हो जाता है। 1991 से, प्राकृतिक महापदाओं के शिकार हुए लोागें में से दो–तिहाई लोग विकासशील देशों के थे, जबकि केवल 2 प्रतिशत लोग अति–विकसित देशों के थे। जो लोग विकासशील देशों में रहते हैं, विशे ा रूप से जिनके पास सीमित संसाधन हैं, वे अपेक्षाक त अधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित होते हैं। जैसे–जैसे प्राक तिक महापदाओं में भयंकर रूप से बढ़ोतरी हो रही है और सामाजिक रूप से सुभेद्यता बढ़ती जारही है, वैसे ही विश्व समुदाय भी उन पर काबू पाने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील होता जा रहा है।

7.7 चूंकि सबसे अधिक सुभेद्य एवं कमजोर क्षेत्र भारत में पाए जाते हैं, इसलिए प्राकृतिक महापदा प्रबंध देश में उच्च प्राथमिकता प्राप्त कर चुका है। दुर्घटना के बाद राहत और पुनर्वास कार्यों के इतिव त्त पर ध्यान केन्द्रित न करते हुए अब हमें भवि य को देखना है और महापदा से मुकाबला करने और उसके विनाशकारी प्रभावों को कम करने के लिए तैयारी की योजना बनानी है, ताकि हमारे विकास प्रयत्नों को समय–समय पर लगने वाले झटकों को कम किया जा सके।

Hkkjrh; vuHko

{k=h; detkfj;k@lHk|rk,

7.8 भौतिक सुभेद्यता आमतौर पर इस बात पर निर्भर करती है कि लोग कहां रहते हैं, वे संकटापन्न क्षेत्र के कितने पास हैं, और उन्होंने महापदाओं के प्रभाव को रोकने के लिए क्या–क्या पूर्वोपाय कर रखे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बाढ़ों की चपेट में इसीलिए आते हैं क्योंकि वे बाढ़–प्रवण क्षेत्रों में रहते हैं। भौतिक सुभेद्यता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वहां के भवनों या घरों की तकनीकी क्षमता कैसी है, क्या वे इमारतें भूकंप, बाढ़ आदि के दौरान उनकी मार को सह सकती हैं।

> **ckDl 7-1**
> **ikÑfrd foinkvk dk fy,**
> **Hkkjr dk lHk|@detkj {k=**
>
> तटवर्ती राज्य, विशेष रूप से पूर्वी समुद्र–तटवर्ती क्षेत्र और गुजरात तूफानों के लिए सुभेद्य हैं।
>
> 4 करोड़ हैक्टेयर भूमि बाढ़ों के लिए सुभेद्य है।
>
> 68 प्रतिशत निवल कृषि क्षेत्र सूखे की चपेट में आ सकता है।
>
> कुल क्षेत्रफल का 55 प्रतिशत भाग भूकंप की संभावना वाले क्षेत्र 3–5 में आता है और वहां कभी भी भूकंप आ सकता है।
>
> हिमालय के निचले क्षेत्र तथा पश्चिम घाट भू–स्खलन की दृ ट से सुभेद्य हैं।

7.9 किसी विपत्ति से कोई आबादी कितनी अधिक प्रभावित होगी, यह सुभेद्यता के भौतिक संघटकों पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि यह वहां के समुदाय की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति पर और वहां के लोगों के कार्यकलापों पर उस विपत्ति के पड़ने वाले प्रभाव पर भी निर्भर करता है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्रों में किए गए अनुसंधान से पता चला है कि अकेली मां या पिता वाले परिवार, स्त्रियां, विकलांग, बच्चे और बूढ़े लोग खासतौर पर समाज के कमजोर या सुभेद्य वर्ग हैं। बिना किसी भू–भौतिक योजना के यों ही ऊलजलूल तरीके से बस जाना और फिर विकास के लिए पर्याप्त मात्रा में कोई कार्यवाही न किया जाना भी महापदाओं के दौरान अधिक हानि होने का एक कारण है। जहां तक भारत का संबंध है, यहां एक तो जनसंख्या बहुत अधिक है, साथ ही कुछ प्रदेशों में जनसंख्या की सघनता बहुत ज्यादा है। इससे महापदाओं के समय जान–माल की हानि बहुत अधिक होती है। कभी–कभी यह कारण उतना ही महत्वपूर्ण हो जाता है जितना कि भौतिक सुभेद्यता

जिसके लिए भौगोलिक स्थिति तथा आधारभूत ढांचे/ अवसंरचना को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

7.10 एशिया महाद्वीप खासतौर पर महापदाओं के आक्रमण के प्रति सुभेद्य है। 1991 से 2000 तक की अवधि में, विश्वभर में जितने लोग महापदाओं से प्रभावित हुए उनमें से 83 प्रतिशत लोग एशिया में थे। उस दौरान विश्व के ो ा भाग में कुल मिलाकर 1,11,159 लोग प्रभावित हुए थे जबकि अकेले एशिया में प्रभावित लोगों की संख्या 5,54,439[1] थी। एशिया के भीतर, महापदा से होने वाली मौतों में से 24 प्रतिशत मौतें भारत में होती हैं जिसका कारण देश का आकार, जनसंख्या और सुभेद्यता है। भारत में आने वाली सभी महापदाओं में से 60 प्रतिशत बाढ़ तथा तूफान जनित होती हैं। यद्यपि मानव विकास के अन्य क्षेत्रकों में पर्याप्त मात्रा में प्रगति हुई है, फिर भी महापदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए अभी बहुत–कुछ किया जाना बाकी है।

7.11 भारतीय उप–महाद्वीप के अनेक भाग कुछ अलग किस्म की महापदाओं के लिए सुभेद्य एवं सुप्रभाव्य हैं, जिसका कारण उनकी अपनी भू–आक तिक तथा जल–वायविक विशि टताएं हैं। उप–महाद्वीप का लगभग 54 प्रतिशत भू–भाग भूकंप की संभाव्यताओं से पूर्ण है जबकि लगभग 4 करोड़ हैक्टेयर भूमि समय–समय पर बाढ़ों की चपेट में आ जाती है। 1990 से 2000 तक का समय देश के लिए सबसे अधिक महापदाओं का दशक साबित हुआ। 1999 में उड़ीसा में तूफान से जान–माल की भारी हानि हुई, और उसके बाद 2001 में गुजरात के भूकंप ने तो अकेले ही कई हजार करोड़ रुपये का नुकसान कर दिया, जबकि अकेले गुजरात में राहत तथा पुनर्निर्माण के कार्यों पर लगभग 11,500 करोड़ रुपये[2] खर्च हुए।

7.12 इसी प्रकार, देश पिछले पचास व ों में चार बड़े भूकंपों से पीड़ित हुआ है; इनके अलावा साधारण तीव्रता वाले भूकंप तो समय–समय पर होते ही रहे हैं। 1988 से, छह भूकंपों ने देश के भिन्न–भिन्न भागों को प्रभावित किया है। इन्होंने जान–माल की अत्यधिक हानि पहुंचाई है।

[1] विश्व महापदा रिपोर्ट, आई एफ आर सी, 2001.

[2] 11.12.2000 की स्थिति के अनुसार; गुजरात भूकंप : एक अध्ययन, एन सी डी एम, 2002, नई दिल्ली।

rkfydk 7-1

Hkkjr e g, cM Hkdi] 1988&2001

fnukd	LFkku	rhork
अगस्त 21, 1988	बिहार– नेपाल सीमा क्षेत्र	6.4
अक्तूबर 20, 1991	उत्तर काशी, उत्तर प्रदेश	6.6
सितंबर 30, 1993	लातूर–उस्मानाबाद, महाराष्ट्र	6.3
मई 22, 1997	जबलपुर, मध्य प्रदेश	6.0
मार्च 29, 1999	चमोली, उत्तर प्रदेश	6.9
जनवरी 26, 2001	भुज, गुजरात	7.7

स्रोत : भारतीय मौसम विभाग और यू एस जिओलॉजिकल सर्वे।

egkinkvk d dkj.k vkfFkd gkfu;k

7.13 महापदाओं से भारी आर्थिक हानियां होती हैं। ये हानियां तात्कालिक तथा दीर्घावधिक दोनों प्रकार की होती हैं और इन्हें ठीक करने के लिए अतिरिक्त राजस्व राशियों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, इन महापदाओं का एक तात्कालिक परिणाम यह भी होता है कि प्रभावित क्षेत्रों से प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी हो जाती है, क्योंकि वहां आर्थिक कार्यकलाप कम हो जाते हैं जिससे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की राशि कम प्राप्त होती है।

ckDl 7-2

ikÑfrd egkinkvk l fo'o Hkj e gbl gkfu;k

पुनर्बीमा कंपनी 'म्यूनिकरी' के अनुसार, 1950 के दशक से प्राकृतिक महापदाओं से जुड़ा खर्च 14 गुना बढ़ गया है। 1991 से 2000 तक प्रत्येक व र् प्राकृतिक महापदाओं से औसतन 21.1 करोड़ लोग मारे गए या प्रभावित हुए। यह संख्या लड़ाई–झगड़ों में मारे गए या प्रभावित हुए लोगों की संख्या से सातगुना अधिक थी। 1990 के दशक के अंत के आस पास हिसाब लगाने पर यह पाया गया कि लगभग 2.5 करोड़ लोग 'पर्यावरणिक विस्थापित' थे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि पहली बार, प्राकृतिक संकटों से बचकर भागने वाले लोगों की संख्या लड़ाई–झगड़े के कारण भागने वालों की संख्या से अधिक थी।

स्रोत : विश्व महापदा रिपोर्ट, 2001.

इसके अतिरिक्त, महापदा से उबरने के लिए बजट में योजना–भिन्न धन राशियों का आबंटन करना होता है जिनके कारण सामान्य विकास कार्यों में रुकावट आती है और परिणामस्वरूप विकास के लक्ष्य पूरे नहीं हो पाते।

7.14 महापदाओं के कारण नए निवेश की उपलब्धता में भी कमी आ जाती है जिससे उस प्रदेश के विकास में रुकावट आती है। इसके अलावा, सरकार को राहत तथा पुनर्वास कार्यों पर भारी धनराशियां खर्च करनी पड़ती हैं जिससे सरकारी वित्त के ऊपर दबाव बढ़ जाता है।

7.15 गुजरात में हाल में आए भूकंप में, 14,000 से अधिक लोग मारे गए, दस लाख घर क्षतिग्रस्त हो गए और लगभग 15,000 करोड़ रुपये की परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ। पिछले कुछ व र्षों में आई महापदाओं में देश को जान–माल का कितना नुकसान उठाना पड़ा इसका संक्षिप्त ब्यौरा तालिका 7.2 से 7.5 में दिया गया है।

rkfydk 7-2

Hkkjr esa ikÑfrd egkinkvksa dk dkj.k gqbZ {kfr

o"kZ	iHkkfor ykx ¼yk[k½	?kj&edku vkf'kd ;k i.kZ:i ls {kfrxLr	lai fÙk dk gkfu ¼djksM+ :0½
1985	595.6	2,449,878	40.06
1986	550.0	2,049,277	30.74
1987	483.4	2,919,380	20.57
1988	101.5	242,533	40.63
1989	30.1	782,340	20.41
1990	31.7	1,019,930	10.71
1991	342.7	1,190,109	10.90
1992	190.9	570,969	20.05
1993	262.4	1,529,916	50.80
1994	235.3	1,051,223	10.83
1995	543.5	2,088,355	40.73
1996	549.9	2,376,693	50.43
1997	443.8	1,103,549	n.a.
1998	521.7	1,563,405	0.72
1999	501.7	3,104,064	1020.97
2000	594.34	2,736,355	800.00
2001	788.19	846,878	12000

lzksr% वार्षिक रिपोर्टें, प्राकृतिक महापदा प्रबंध प्रभाग, कृि ा मंत्रालय

rkfydk 7-3
Hkkjh o"kkZ] HkwL[kyu rFkk ck<+ ds dkj.k gq, okf"kZd {kfr

Ø- la-	o"kZ	iHkkfor ftys	iHkkfor xkao ¼la-½	iHkkfor tula[;k ¼yk[k½	iHkkfor Qly {k=Qy	{kfrxLr edku ¼la-½ ¼yk[k gsDV-½	e`rdksa dh la[;k	i'kq /ku dh gkfu ¼la-½	{kfrxLr edkuksa dk vuqekfur eY; ¼djksM- :- eas½	{kfrxLr lkoZtfud lEifÙk;ksa dk vuqekfur eY; ¼djksM :-½
1	1999	202	33,158	328.12	8.45	884,823	1,375	3,861	0.72	-
2	2000	200	29,964	416.24	34.79	2,736,355	3,048	102,121	631.25	389.72
3	2001	122	32,363	210.71	18.72	346,878	834	21,269	195.57	676.05

***lzksr*%** वार्षिक रिपोर्टें, प्राकृतिक महापदा प्रबंध प्रभाग, कृषि मंत्रालय

rkfydk 7-4
vDrwcj 2000 esa mM+hlk esa rwQku ds dkj.k gqbZ {kfr

?kVuk dh rkjh[k	ftyksa dh dqy la[;k	iHkkfor ftys	iHkkfor xkao ¼la-½	iHkkfor tula[;k ¼yk[k½	iHkkfor Qly ¼{ks0½ ¼yk[k gsDVs;j½	{kfrxLr edku ¼la-½	e`rdksa dh la[;k	i'kq /ku dh gkfu ¼la-½
17-18.10.99	30	4	5,181	37.47	1.58	331,580	199	10,578
29-30.10.99	30	12	14,643	129.22	18.43	1,828,532	9,887	444,531

***lzksr*%** वार्षिक रिपोर्टें, प्राकृतिक महापदा प्रबंध प्रभाग, कृषि मंत्रालय

rkfydk 7-5
lw[ks ds dkj.k gkfu;ka % 1999-2001

Ø-la-	o"kZ	iHkkfor ftys	iHkkfor xkao ¼la-½	iHkkfor tula[;k ¼yk[k½	{kfrxLr Qly {k=Qy ¼yk[k gsDVs;j½	{kfrxLr Qlyksa dk vuqekfur eY; ¼djksM :i;s½	iHkkfor i'kq la[;k ¼yk[k½
1	1999	125	-	369.88	134.22	6.44	345.60
2	2000	110	54,883	378.14	367.00	371.87	541.67
3	2001	103	22,255	88.19	67.44	NA	34.28
	TOTAL	**338**	**77,138**	**836.21**	**568.66**	**378.31**	**921.55**

***lzksr*%** वार्षिक रिपोर्टें, प्राकृतिक महापदा प्रबंध प्रभाग, कृषि मंत्रालय

vkjs[k 7-1
o"kZ dk vuqlkj vkdfyr lEiw.kZ ckf<+ tU; {kfr ¼djksM+ :i;s½

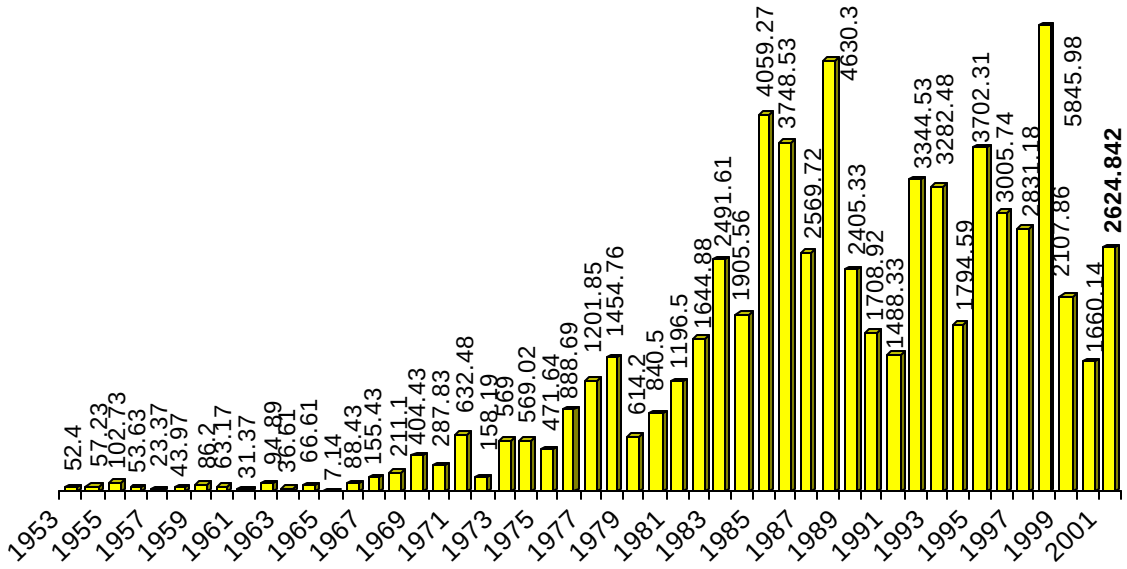

स्रोतः केन्द्रीय जल आयोग

7.16 ऊपर दी गई तालिकाओं तथा आरेख 7.1 में प्रस्तुत क्षति की व्यापकता का ब्यौरा इस बात पर बल देता है कि प्राकृतिक महापदाएं विकास के मार्ग में भारी बाधाएं उपस्थित करती हैं और सबसे गरीब तथा कमजोर लोग ही इन महापदाओं के सबसे अधिक शिकार होते हैं। देश का कोई–न–कोई भाग बार–बार आने वाली इन महापदाओं के कारण असह्य कष्ट झेलता रहता है, ऐसी स्थिति में इन महापदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए विकास की योजनाओं में उनके अभिन्न संघटक के रूप में अवश्य कोई व्यवस्था की जानी चाहिए और उसे गरीबी हटाने की हमारी रणनीति का अंग बनाया जाना चाहिए।

lkLFkkfud 0;oLFkk,a

7.17 देश ने संघीय शासन प्रणाली अपना रखी है जिसके अंतर्गत केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की अपनी–अपनी सुनिश्चित भूमिकाएं एवं अलग–अलग कार्य हैं। किंतु, भारतीय संविधान की सप्तम अनुसूची में दी गई तीन सूचियों में से किसी भी सूची में महापदा प्रबंध का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, हालांकि इस अनुसूची में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अनन्य विषयों का उल्लेख करने के साथ–साथ, समवर्ती सूची में दोनों के हिस्से में आने वाले वि ायों का भी उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। जहां तक कानून का सवाल है, केन्द्रीय या किसी भी राज्य सरकार का ऐसी अधिनियम नहीं है जिसमें विभिन्न प्रकार की महापदाओं के प्रबंध के बारे में कोई स्पष्टोल्लेख किया गया हो।

7.18 देश के पास राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा उप–जिला स्तर पर महापदाओं का प्रबंध करने के लिए एक एकीकृत प्रशासनिक तंत्र मशीनरी है। प्राकृतिक महापदा आने पर बचाव, राहत और पुनर्वास के उपाय करने की बुनियादी जिम्मेदारी, इस समय,संबंधित राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय सरकार वित्तीय तथा संभारतंत्रीय सहायता देकर राज्यों के प्रयत्नों की अनुपूर्ति करती है।

dUnh; Lrj

7.19 केन्द्रीय सरकार के स्तर पर अनुक्रिया यानी सहायता के आयामों का निर्धारण, निम्नलिखित घटकों को दृष्टिगत रखते हुए, राहत व्यय के वित्तपोषण की वर्तमान नीति के अनुसार, किया जाता है:

(1) प्राकृतिक महापदा की गंभीरता;

(2) आवश्यक राहत कार्य का आयाम, और

(3) राज्य सरकार के पास उपलब्ध अपने वित्तीय संसाधनों तथा संभारतंत्रीय सहायता को बढ़ाने के लिए केन्द्रीय सहायता की आवश्यकता।

7.20 प्रासंगिक कार्रवाई योजना (सी ए पी) के अंतर्गत उन कदमों का उल्लेख किया गया है जिन्हें प्राकृतिक महापदा आने पर विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों तथा सार्वजनिक विभागों द्वारा उठाया जाना है। इस योजना में, बिना देरी किए राहत व बचाव कार्यों को सुविधापूर्वक शुरू करने की प्रक्रिया बताई गई है और प्रशासनिक तंत्र में प्रमुख बिन्दुओं का निर्धारण किया गया है।

7.21 गृह मंत्रालय राहत और अनुक्रिया के समन्वय और प्राक तिक महापदा के समग्र प्रबंध के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार मंत्रालय है और कृषि तथा सहकारिता विभाग सूखा प्रबंध के लिए जिम्मेदार मंत्रालय/अभिकरण है। महापदा आ पड़ने पर अन्य विभागों को भी ऐसे मामलों में आपाती सहायता देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है जो उनके अधिकार–क्षेत्र में आते हैं, जैसा कि तालिका 7.6 में दिया गया हैः

rkfydk 7-6
fofHkUu izdkj dh egkinkvksa ds izca/k ds fy, ftEesnkj ea=ky;

egkinnk izeq[k	ukMy ea=ky;
प्राकृतिक महापदा (सूखा–भिन्न) प्रबंध	गृह मंत्रालय
सूखा राहत	कृषि मंत्रालय
हवाई दुर्घटनाएं	नागरिक उड्डयन मंत्रालय
रेल दुर्घटनाएं	रेल मंत्रालय
रासायनिक दुर्घटनाएं	पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
जैव दुर्घटनाएं	स्वास्थ्य मंत्रालय
परमाणविक दुर्घटनाएं	परमाणु ऊर्जा विभाग

निम्नलिखित निर्णायक एवं स्थायी निकाय केन्द्रीय स्तर पर महापदा के प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी हैं:

- केन्द्रीय मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में
- शक्ति–सम्पन्न मंत्रियों ***dk lewg***, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में।
- ***jk"Vªh; ladV izca/k lfefr*** (एन सी एम सी), मंत्रिमंडलीय सचिव की अध्यक्षता में।
- ***ladV izca/k lewg*** (सी एम जी), केन्द्रीय राहत आयुक्त की अध्यक्षता में। इस समूह में विभिन्न मंत्रालयों तथा संबद्ध विभागों के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। यह समूह आकस्मिक/प्रासंगिक योजनाओं की समीक्षा करता है; प्राकृतिक महापदा का मुकाबला करनेके लिए आवश्यक उपायों पर विचार करता है और महापदा के लिए तैयारी, अनुक्रिया तथा राहत के संबंध में केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के कार्यकलापों के बीच समन्वय स्थापित करता है।
- ***rduhdh laxBu***, जैसे भारतीय मौसम विभाग (तूफान और भूकंप), केन्द्रीय जल आयोग (बाढ़), भवन तथा सामग्री संवर्धन परिषद (निर्माण विधियां), भारतीय मानक ब्यूरो (प्रतिमान), रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (परमाणविक/ जैव), असैनिक रक्षा महानिदेशालय, जो महापदा संबंधी अनुक्रिया तथा प्रबंध कार्यों के समन्वय के लिए विशिष्ट तकनीकी सहायता देता है।
- ***xg ea=ky;*** राष्ट्रीय महापदा प्रबंध प्राधिकरण (एन डी एम ए) की स्थापना पर विचार कर रहा है जो इस प्रयोजन के लिए सरकार के भीतर काम करने वाली सर्वोच्च संरचना होगी। अन्य बड़े संगठनात्मक नए कार्यक्रमों के अंतर्गत :
  - (क) एक विशे ज्ञता–प्राप्त तथा निर्धारित अनुक्रिया दल स्थापित करने का प्रस्ताव है, जो परमाणविक/ जैव/ रासायनिक महापदाओं का सामना करेगा।
  - (ख) प्रत्येक राज्य में तलाशी व बचाव टीमें बनाई जाएंगी;
  - (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र में संचार प्रणालियों को सुदृढ़ बनाया जाएगा।

jkT; ljdkj

7.22 प्राकृतिक महापदाओं से निपटना मूलतः राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार की भूमिका को भौतिक तथा वित्तीय संसाधनों की अनुपूर्ति के रूप में सहायता देने की है। राज्य का मुख्य सचिव एक राज्य–स्तरीय समिति का अध्यक्ष होता है जो राज्य में राहत कार्यों का सर्वोपरि प्रभारी होती है। इसके अलावा, राहत आयुक्त होते हैं जो राज्य में प्राकृतिक

महापदा आने पर राहत तथा पुनर्वास के उपायों के प्रभारी होते हैं और राज्य स्तर की समिति के सर्वोपरि मार्गदर्शन तथा नियंत्रण में कार्य करते हैं। बहुत–से राज्यों में राज्य विभाग का सचिव राहत कार्यों का भी प्रभारी होता है। राज्य सरकारों के पास आमतौर पर अपनी राहत संबंधी नियमों की पुस्तक (मैन्युअल) और जिलों के पास अपनी प्रासंगिक योजना होती है जिसे समय–समय पर अद्यतन बनाया जाता है।

ftyk Lrj vkj LFkkuh; Lrj

7.23 जिला प्रशासन सभी सरकारी योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र–बिन्दु होता है। राहत पहुंचाने का वास्तविक दैनंदिन कार्य जिलाधीश (कलक्टर)/जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त का दायित्व होता है और वह जिला–स्तर पर सभी विभागों पर समन्वय तथा पर्यवेक्षण की शक्तियों का प्रयोग करता है। हर जिले में तो नहीं पर अधिकांश जिलों में एक जिला स्तरीय राहत समिति होती है जिसमें सरकारी अधिकारी तथा अन्य नागरिक होते हैं।

7.24 संविधान के 73वें तथा 74वें संशोधनों में पंचायती राज संस्थाओं को 'स्व–शासन की संस्थाएं' माना गया है। संशोधन में इन संस्थाओं के गठन, ाक्तियों, कार्यों, वित्त–पो ाण, नियमित चुनाव और स्त्रियों सहित सभी कमजोर वर्गों के लिए सीटों के आरक्षण के लिए आवश्यक मार्ग–निर्देश भी दिए गए हैं। ये स्थानीय निकाय समय–पूर्व चेतावनी प्रणाली, राहत विवरण, पीड़ितों के लिए आश्रय की व्यवस्था, डाक्टरी सहायता आदि के माध्यम से, महापदा से निपटने के प्रभावी उपकरण साबित हो सकते हैं।

7.25 राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों के अलावा और भी कई सांस्थानिक सहयोगी/पणधारी हैं जोदेश में महापदा आने पर विभिन्न स्तरों पर उसके प्रबंध में हाथ बंटाते हैं। इनमें शामिल हैंः पुलिस और पैरा–सैन्यबल, नागरिक सुरक्षा, और होमगार्ड, अग्निशमन सेवाएं, भूतपूर्व सैनिक, गैर–सरकारी संगठन, सार्वजनिक तथा निती उद्यम, मीडिया/ जन–संचार माध्यम और एचए एम प्रचालक – इनमें से सभी अपनी–अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं।

I'kL= cy

7.26 भारतीय सशस्त्र बल स्थिति में हस्तक्षेप तथा विशिष्ट कार्य करने के लिए बुलाए जाते हैं जब हालात सिविल प्रशासन के बूते से बाहर हो जाते हैं। व्यवहार में, सशास्त्र बल सरकारी अनुक्रिया क्षमता के मूलाधार हैं और किसी भी बड़ी महापदा में भारत सरकार के आह्वान पर सबसे पहले आगे आते हैं। ये सशस्त्रबल प्रतिकूल परिस्थितियों को संभालने की क्षमता रखते हैं, तेजी से अनुक्रियात्मककार्रवाई करते हैं, और उनके पास आवश्यक संसाधन तथा योग्यताएं होती हैं। उन्होंने पहले भी आपाती परिस्थितियों में, ऐतिहासिक रूप से, अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं और विशेष रूप से महापदा आ पड़ने पर, संचार व्यवस्था, तलाश व बचाव कार्य, स्वास्थ्य तथा चिकित्सा सुविधा, परिवहन, बिजली, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति, सार्वजनिक निर्माण कार्यऔर इंजीनियरी जैसो सभी प्रकार के कार्यों को बखूबी सम्पन्न किया है। महापदा के प्रबंध की योजना बनाते समय उनसे अपेक्षित भूमिका को भी उसमें शामिल किया जाना चाहिए ताकि उन्हें सहयोजित करने की प्रक्रिया सुचारू रूप से तत्काल कामकर सके।

fon'kh lxBuk l lc/k

7.27 भारत सरकार महापदा अनुक्रिया तथा राहत के क्षेत्र में कार्यरत अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सदस्य है। वैसे नीति तो यही है कि महापदा आ पड़ने पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से किसी प्रकार की सहायता के लिए अनुरोध या अपील न की जाए, पर स्वतः प्रस्तुत सहायता स्वीकार की जाती है। निम्नलिखित संगठनों से हमारे संपर्क–सूत्र विद्यमान हैं :

(क) मानवीय कार्यों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (यू एन ओ सी एच ए), जिसे संयुक्त राष्ट्र की महासभा के समादेश द्वारा सभी प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय महापदाओं में सहायता देने का दायित्व सौंपा गया है।

(ख) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू एन डी पी) जो महापदा प्रबंध के न्यूनीकरण तथा निवारण पक्षों के लिए उत्तरदायी है।

(ग) संयुक्त राष्ट्र महापदा आकलन एवं समन्वय (यू एन डी ए सी) प्रणाली।

egkink e lgk;rk d fy, IkLFkkfud 0;oLFkkvk dk lpk# cukuk

7.28 महापदा में सहायता के लिए सांस्थानिक व्यवस्थाएं महापदा प्रबंध प्रणाली का मूलाधार हैं। प्राकृतिक महापदाओं से उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों का मुकाबला करने के लिए सैनिक तथा असैनिक अनुभवी कार्मिकों की कोई कमी नहीं है।

तथापि, इस संबंध में विद्यमान सांस्थानिक व्यवस्थाओं तथा प्रणालियों में सुधार करना तथा उन्हें सबल बनाना अत्यंत आवश्यक है, ताकि कोई भी महापदा आ पड़ने पर उसके प्रति प्रारंभिक अनुक्रिया अधिक प्रभावकारी तथा व्यावसायिक हो। आवश्यक संसाधनों एवं विशेषज्ञताओं में से अधिकांश पहले से ही सरकार के पास मौजूद हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि उन सबको एकीकृत, समन्वित, प्रशिक्षित तथा नियोजित कैसे किया जाए। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां सुधार करने की तत्काल आवश्यक है, जैसे :

(क) महापदाओं के लिए एकीकृत योजना बनाना; जिसमें संगत सशस्त्र बलों की इकाइयों को, जिला स्तर से लेकर राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के स्तर तक सर्वत्र, आपदा प्रबंध की योजना बनाने में साथ लेना शामिल है।

(ख) एक आधुनिक किस्म का स्थायी राष्ट्रीय समादेश केन्द्र या संक्रिया कक्ष स्थापित करना, जिसके पास सभी राज्यों की राजधानियों से संपर्क करने के लिए बहुत–से संचार साधन और आधार सामग्री हो। राष्ट्रीय समादेश केन्द्र या संक्रिया कक्ष के कार्मिक व्यावसायिक योग्यता वाले हों और उनकी सेवाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध रहें ताकि तत्काल एकीकृत अनुक्रिया संबंधी आवश्यकता को पूरा किया जा सके। राज्य स्तर पर भी ऐसे ही संक्रिया कक्षों की आवश्यकता है जिसमें सभी आवश्यक उपस्कर हों।

(ग) आवश्यकता के समय काम आने वाले एक अतिरिक्त, तत्काल अनुक्रियाशील दल की स्थापना करना, जिसमें केन्द्रीय तथा राज्य सरकार के कर्मचारियों में से छांटे गए, सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार के अनुभवी व्यावसायिक कार्मिक हों जो तत्काल कुछ ही घंटों में उड़कर उन स्थानों पर पहुंच सकें जहां महापदा का प्रकोप हुआ हो। यह दल उसी रीति से संगठित और व्यावसायिक रूप से संचालित किया जा सकता है, जैसे कि संयुक्त राष्ट्र की महापदा आकलन तथा समन्वय टीमें संचालित की जाती हैं।

(घ) सभी स्तरों पर शहरी तलाशी तथा बचाव क्षमता का निर्माण। इसके लिए एक पूर्ण सुसज्जित तलाशी तथा बचाव इकाई स्थापित की जाए, जो सभी राज्यों की राजधानियों में अग्निशमन सेवा का हिस्सा हो। उसके पास प्रशिक्षित कर्मचारी और आधुनिक उपस्कर हों, जैसे तापीय इमेजर, ध्वनि से पता लगाने वाले उपकरण आदि। यह वर्तमान स्थिति में बहुत ही सुसंगत एवं प्रासंगिक हैं क्योंकि गुजरात के भूकंप में हमारी एक बड़ी कमजोरी यह रही कि हमारे पास भारत में शहरी तलाशी तथा बचाव की विशेषज्ञतापूर्ण क्षमता नहीं थी।

(ड़) ऐसी मीडिया नीति जो कि टेलीविजन पर सूचना प्रसारण की प्रणाली को ठीक से संभाल सके। महापदाओं के समय सरकार पर भारी राजनीतिक दबाव रहते हैं, उनके प्रति कुशलतापूर्वक तत्काल प्रतिक्रिया व्यक्त करनी होती है। इस पक्ष पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि इसका प्रभाव भविष्य में कम नहीं होगा, बल्कि बढ़ेगा ही।

(च) महापदा के प्रति अनुक्रिया की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के साथ घनिष्ठ संपर्क बनाए रखना और उसे अच्छी तरह समझना, और जब अंतर्राष्ट्रीय सहायता आने लगे तो उसे ठीक से प्राप्त करने के लिए सीमा शुल्क, अप्रवास, विदेश नीति संबंधी अनेक उलझनों को सुलझाना। आज के समय में प्राकृतिक महापदा के लिए प्राप्त होने वाली अनुक्रिया सहायता की गति और स्वचलता को समझना भी बहुत जरूरी हो गया है। इसके लिए आवश्यक होता है कि विदेश मंत्रालय महापदा के समय सहायता देने वाले संगत अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ परस्पर संपर्क बनाए रखे।

(छ) देश के भीतर गैर–सरकारी स्रोतों से मानवीय तथा राहत सहायता प्राप्त करने के लिए मानक प्रक्रियाओं का निर्धारण करना। प्रक्रियाएं तथा प्रणालियां ऐसी होनी चाहिए कि किसी तरह की उलझन या गड़बड़ पैदा न हो और प्राप्त होने वाली सहायता का सर्वोत्तम उपयोग सुनिश्चित हो सके, जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता की प्रणालियों में होता है।

(ज) महापदा के प्रबंध के लिए एक आधुनिक एकीकृत कानून बनाना। राज्य, केन्द्रीय तथा समवर्ती सूचियों के माध्यम से राज्य तथा

केन्द्रीय सरकार के बीच वर्तमान दायित्वों के विभाजन को देखते हुए, यह जरूरी हो गया है कि, प्राकृतिक महापदाओं तथा अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए एक एकीकृत कानून बनाया जाए जिसमें प्रत्येक इकाई की जिम्मेदारियों तथा शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन हो। यह भी बताया जाए कि भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा महापदा की घोषणा किए जाने पर क्या–क्या कार्रवाइयां तत्काल करनी होंगी और किन–किन शक्तियों का प्रयोग करना होगा। इस कानून में रासायनिक आपात स्थिति से निपटने के लिए पहले से चल रहे उस कानून को भी शामिल किया जाना चाहिए जो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा बनाया गया था, ताकि सभी प्रकार की आपातस्थितियों का एक ही कानून के अंतर्गत मुकाबला किया जा सके। इस कानून में राष्ट्रीय स्तर पर महापदा क्या होती है यह स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाएगा।

foÙkh; O;oLFkk,a

jkgr O;; dh foÙk O;oLFkk

7.29 प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित राहत व्यय को पूरा करने के लिए की गई नीति वि ायक व्यवस्थाएं अधिकतर उत्तरोत्तर गठित वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित हैं। इस समय ऐसे व्यय की व्यवस्था करने के लिए दो निधियां मौजूद हैं : विपत्ति राहत निधि (सी आर एफ) और राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ)। विपत्ति राहत निधि का उपयोग तूफान, सूखा, भूकंप, आग, बाढ़ और ओलावृष्टि जैसी विपत्तियों के शिकार लोगों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए किया जाता है। क्षति ग्रस्त पूंजीगत निर्माण–कार्यों के पुनरुद्धार पर किया जाने वाला खर्च साधारणतया सामान्य बजट शीर्षों से पूरा किया जाता है, सिवाय उस स्थिति के जब यह तत्काल राहत कार्यों, जैसे पेयजल के स्रोतों के पुनरुद्धार अथवा शरण स्थलों आदि की व्यवस्था के लिए किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2000–01 से 2004–05 तक प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक राज्य की विपत्ति राहत निधि में वार्षिक अंशदान के रूप में कितनी धनराशि दी जाएगी, यह वित्त आयोग द्वारा बताया गया है। इस अंशदान की संपूर्ण राशि में 75 प्रतिशत रकम भारत सरकार प्रतिवर्ष योजना–भिन्न अनुदान के रूप में देती है और शेष 25 प्रतिशत राशि संबंधित राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। 2000–05 की अवधि में विपत्ति राहत निधि के लिए कुल मिलाकर 11,007. 59 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

7.30 ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण में, विपत्ति राहत निधि के अलावा, एक अन्य निधि अर्थात् राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिक निधि (एन सी सी एफ) की स्कीम वित्तीय व र्ा 2000–01 से लागू की गई है और यह 2004–05 के अंत तक चलेगी। एन सी सी एफ का उद्देश्य तूफान, सूखा, भूकंप, बाढ़, आग तथा ओलावृष्टि जैसी प्राकृतिक विपत्तियों में राहत व्यय की व्यवस्था करना है। ये विपत्तियां गंभीर किस्म की मानी जाती हैं और इनके लिए राज्य सरकार को अपनी विपत्ति राहत निधि में उपलब्ध धनराशियों से अधिक व्यय करना पड़ता है। एन सी सी एफ से सहायता केवल तात्कालिक राहत तथा पुनर्वास के लिए उपलब्ध कराई जाती है। परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा क्षतिग्रस्त पूंजीगत उपस्कर आदि के पुनरुद्धार की वित्त–व्यवस्था योजना–निधियों के पुनराबंटन से की जानी चाहिए। इस प्रकार, इस संबंध में की जाने वाली व्यवस्थाओं को परिभाषित करने के लिए अधिक विस्तृत कार्य करने की आवश्यकता है।

7.31 राष्ट्रीय निधि (एन सी सी एफ) की मूल राशि 500 करोड़ रुपए है जो भारत सरकार द्वारा दी गई है। इस निधि की प्रतिपूर्ति कुछ समय के लिए केन्द्रीय करों पर विशेष अधिभार लगाकर की जाती है। एन सी सी एफ से अब तक राज्यों को लगभग 2,300 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। प्राकृतिक विपत्तियां आने पर, सी आर एफ/ एन सी सी एफ पर प्रभार्य व्यय की मदों तथा प्रतिमानों की सूची समय–समय पर विस्तार से निर्धारित की जाती है।

ipo"kh; ;ktukvk d ek/;e l egkink d icèk dh foÙk&O;oLFkk

7.32 यद्यपि पूर्ववर्ती पंचवर्षीय योजनाओं के दस्तावेजों में महापदा के प्रबंध के लिए विशिष्ट रूप से कोई विचार/ उल्लेख नहीं किया गया है फिर भी भारत सरकार प्राकृतिक महापदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए काफी लंबे समय से योजनागत राशियां खर्च करती रही है। योजनागत स्कीमों यानी भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों जैसे पेयजल की आपूर्ति, रोजगार उत्पादन, कृषि के लिए निविष्टियां और बाढ़ नियंत्रण उपाय आदि के लिए, भारत सरकार निधियों की व्यवस्था करती है। इसके अलावा, कृषि प्रयोजनों के लिए दिए गए अल्पावधिक ऋणों की वापसी अदायगी के कार्यक्रम में, जिला/राज्य प्रशासन

द्वारा प्रमाणीकरण के आधार पर, परिवर्तन करने की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। केन्द्रीय सरकार की परिसम्पत्तियां/अवसंरचनाएं भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा ठीक कराई जाती हैं। इसके अलावा, विशाल पैमाने पर विपत्ति घटित होने पर, राहत तथा पुनर्वास कार्यों के लिए स्थानीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दाताओं से धन प्राप्त होता है और कुछ मामलों में यह दान–राशि दीर्घावधिक तैयारी/निवारक उपायों पर खर्च की जाती है। परवर्ती उद्देश्यों के लिए निधियां बहुपक्षीय निधि–पोषण अभिकरणों जैसे विश्व बैंक से भी उपलब्ध होती हैं। ये सब राज्य योजना का हिस्सा बनती हैं।

7.33 और भी अनेक महत्वपूर्ण स्कीमें चल रही हैं, जो महापदा की सुभेद्यता को कम करती हैं। इनमें से कुछ हैंः एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम (आई डब्ल्यू डी पी), सूखा–प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी पी ए पी), मरुस्थल विकास कार्यक्रम (डी डी पी); बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय वनरोपण एवं पारिस्थितिकी विकास कार्यक्रम (एन ए एंड ई डी), त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए आर डब्ल्यू एस पी), फसल बीमा, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस जी आर वाई), काम के बदले अनाज, आदि।

;kstuk ds vrxZr foÙkiks"k.k ds lac/k esa fofHkUu fudk;ksa }kjk iLrkfor u, dk;Øe

7.34 महापदा प्रबंध विषयक उच्च शक्ति सम्पन्न समिति (एच पी सी) और ग्याहरवें वित्त आयोग द्वारा भी हाल में महापदा प्रबंध में योजना की भूमिका पर विचार किया है। एच पी सी 1999 में गठित की गई थी; उसने अपनी रिपोर्ट अक्तूबर 2001 में पेश की। एच पी सी ने हाल में देश में आई सभी महापदाओं पर विहंगम दृष्टि डाली और उसने अनेक सरकारी, गैर–सरकारी, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों तथा मीडिया संगठनों के साथ विचार–विमर्श के आधार पर सामान्य अनुक्रिया तथा तैयारी संबंधी तंत्रों का पता लगाया। समिति की एक महत्वपूर्ण सिफारिश यह थी कि राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरों पर कम–से–कम 10 प्रतिशत योजना–निधियां ऐसी स्कीमों के लिए निर्धारित तथा आबंटित की जाएं जो खासतौर पर महापदाओं की रोकथाम, उनमें कमी, उनसे निपटने के लिए तैयारी और उनके प्रभावों को कम करने के उद्देश्य से कार्यान्वित की जा रही हैं।

7.35 ग्याहरवें वित्त आयोग ने भी महापदा प्रबंध के मुद्दे पर व्यापक रूप से ध्यान दिया और विपत्ति में राहत वि ायक अध्याय में उसने कई सिफारिशें कीं, जिनमें से निम्नलिखित सिफारिशों का योजना से सीधा संबंध है;

(क) आधारभूत ढांचे और अन्य सभी पूंजीगत परिसंपत्तियों के पुनरुद्धार पर होने वाला व्यय, प्राथमिक आधार पर योजना–निधियों से पूरा किया जाना चाहिए, सिवाय उन परिसंपत्तियों पर होने वाले खर्च के, जो तात्विक रूप से राहत कार्यों पर और प्रभावित क्षेत्र तथा जनसंख्या को जोड़ने वाले साधनों पर किया गया हो।

(ख) भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों, राज्य सरकारों तथा योजना आयोग द्वारा विकासात्मक निर्माण – कार्यों के माध्यम से ऐसे मध्यावधिक तथा दीर्घावधिक उपाय किए जाने चाहिए जिनके द्वारा इन विपत्तियों के अस्तित्व को कम किया जा सके अथवा यदि संभव हो तो एकदम मिटाया जा सके।

(ग) योजना आयोग को, राज्य सरकारों तथा संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से ऐसे पूंजीगत निर्माण कार्यों का पता लगाना चाहिए जिनसे कुछ खास किस्म की विपत्तियों का बार–बार आना रोका जा सके। इन निर्माण–कार्यों के लिए निधि की व्यवस्था योजना के अंतर्गत की जा सकती है।

lqjf{kr jk"Vªh; fodkl ds fy, ;kstuk cukuk

7.36 जिन विकास–कार्यक्रमों से स्थानीय स्तर पर विकास को बढ़ावा मिलता हो उन्हें सामान्य योजना निर्माण के लिए छोड़ दिया गया है। स्थानीय स्तर पर महापदा के न्यूनीकरण के प्रयत्नों को सामान्य योजना कार्यक्रमों के साथ मिलाने के उपाय किए जाने चाहिए और राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर सर्वत्र महापदा का सामना करने के लिए अधिक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाना चाहिए। भारत में महापदा प्रबंध की भावी रूपरेखा इस आधारभूत धारणा पर टिकी है कि आज के समाज में प्राकृतिक तथा अन्य प्रकार के संकट तो आते ही रहेंगे, लेकिन आगे आने वाली महापदाएं इतनी भयंकर नहीं होनी चाहिए और उनसे प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए समाज को तैयार किया जा सकता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि संपूर्ण जोखिम के इंतजाम के लिए बहु–विध रणनीति तैयार की जाए, जिसमें एक ओर रोकथाम, तैयारी, अनुक्रिया तथा बहाली के सभी प्रयत्न शामिल हों और दूसरी ओर उनका खतरा तथा प्रभाव कम करने के लिए विकासात्मक प्रयत्न प्रारंभ किए जाएं। तभी हम 'संधारणीय विकास' की आशा कर सकते हैं।

egkinnk dh jkdFkke vkj r;kjh dk mik;

lpuk rFkk vuqla/kku dk uVodl

7.37 महापदा निवारण का मुद्दा तत्वतः निवारक योजना–निर्माण से जुड़ा है। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं :

(क) सुभेद्यता के विश्लेषण तथा खतरे के सकारात्मक आकलन की व्यापक प्रक्रिया अपनाना।

(ख) एक सुदृढ़ एवं स्वस्थ सूचना डेटाबेस का निर्माण करना; भूमि के उपयोग, जनसांख्यिकी, राष्ट्रीय, राज्य तथा स्थानीय स्तर पर विकसित आधारभूत ढांचे के बारे में एक व्यापक डेटाबेस और उसके साथ–साथ जलवायु, मौसम तथा मानव–निर्मित संरचनाओं के विषय में अद्यतन जानकारी महापदाओं की योजना, चेतावनी तथा उनका आकलन तैयार करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, सरकारी तथा गैर–सरकारी प्रणालियों की संसाधन–सूचियां, जिनमें कार्मिकों तथा उपस्कर का ब्यौरा भी हो, अनुक्रियात्मक उपायों को कुशलतापूर्वक जुटाने और उनसे इष्टतम फल प्राप्त करने में सहायता देती है।

(ग) अद्यतन अवसंरचना का निर्माण : महापदा के प्रभाव को कम करने की संपूर्ण योजना उत्तम किस्म के अनुसंधान तथा विकास कार्यों से अवश्य ही संपु ट एवं समर्थित होनी चाहिए। विश्व भर में उपलब्ध अद्यतन प्रौद्योगिकियां महापदा प्रबंध प्रणाली को उन्नत बनाने के लिए भारत में भी उपलब्ध होनी चाहिए। साथ ही, समर्पित भाव से किए जाने वाले अनुसधान संबंधी कार्यकलापों को महापदाओं से संबंधित सभी सीमांत क्षेत्रों में, जैसे जैव, अंतरिक्ष अनुप्रयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, परमाणविक विकिरण आदि विषयों में प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे कि महापदा प्रबंध की स्वस्थ योजना बनाने के लिए उच्च कोटि की बुनियादी सूचना बराबर मिलती रहे।

(घ) सभी ज्ञान–आधारित/ सुविज्ञ संस्थाओं के बीच संपर्क–सूत्र स्थापित करना : प्राकृतिक, मानव निर्मित तथा जीव–जन्य सभी प्रकार की महापदाओं के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारी देने के लिए महापदाओं संबंधी ज्ञान का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित किया जाना चाहिए जो विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों का भी नेटवर्क हो और महापदा प्रबंधकों, निर्णय लेने वाले अधिकारियों तथा समुदाय जैसे सभी प्रकार के उपयोगकर्ताओं द्वारा महसूस की जा रही जरूरतों को पूरा करे।

{kerk fuekZ.k] izf'k{k.k vkSj f'k{kk

7.38 महापदाओं से संबंधित कार्य में लगे कार्मिक उन्हें उपलब्ध सर्वोत्तम पद्धतियों तथा संसाधनों की जानकारी पर निर्भर रहते हैं। महापदाओं का प्रबंध करने तथा उनके प्रभाव को कम करने के तरीकों के बारे में सूचना तथा प्रशिक्षण यदि सभी अनुक्रियाशील, कार्मिकों को दिया जाए तो महापदाओं को कम करने या उनकी रोकथाम करने के लिए देश की क्षमता तथा सहनशक्ति बढ़ेगी। प्रशिक्षण क्षमता–निर्माण का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि प्रशिक्षित कार्मिक भिन्न–भिन्न महापदाओं का अच्छी तरह मुकाबला कर सकते हैं और निवारक उपायों को अधिक अच्छी तरह जान–समझ सकते हैं। इस संबंध में निम्नलिखित मार्ग–निर्देश पालनीय हैं :

(क) महापदा प्रबंध के लिए बहु–उद्देश्यी और बहु–संकट–निवारण पर आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की व्यावसायिक निविष्टियां भी आवश्यक होती हैं। महापदा प्रबंध के विषय में **0;kolkf;d izf'k{k.k** को मौजूदा शैक्षिक अनुसंधान तथा शिक्षा में शामिल किया जाना चाहिए। विश्वविद्यालयों तथा व्यावसायिक शिक्षा संस्थाओं द्वारा महापदा प्रबंध पर विशिष्ट पाठ्यक्रम विकसित किए जाने चाहिए, और महापदा प्रबंध को एक अलग शैक्षिक तथा व्यावसायिक शास्त्र/विषय का दर्जा दिया जाना चाहिए; अमेरिकी शिक्षा प्रणाली ने सफलतापूर्वक कुछ ऐसा ही किया है। महापदा प्रबंध में अलग डिप्लोमा/डिग्री कोर्स के अतिरिक्त, इस विषय पर अनेक मंचों पर चर्चा की जानी चाहिए और उसे चिकित्सा, उपचर्या, इंजीनियरिंग, पर्यावरण विज्ञान, वास्तुशिल्प और नगर तथा देश नियोजन जैसे व्यावसायिक तथा विशिष्ट कोर्सों में एक अलग संघटक के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए।

(ख) महापदा के निवारक प्रबंध और उसके लिए एक राष्ट्रव्यापी भावना विकसित करने के लिए सभी स्तरों पर **tkx:drk iSnk djuk** जरूरी होगा। स्कूल स्तर पर बच्चों को महापदा के प्रति जागरूक बनाने के लिए उसके बारे में समुचित जानकारी देना आवश्यक होगा। इससे उनमें तो जागरूकता बढ़ेगी ही, साथ ही कुछ मामलों में, वे अपने माता–पिता तथा परिवार के अन्य सदस्यों को भी जागरूक बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। देश के भिन्न–भिन्न स्कूल बोर्डों द्वारा अपने जूनियर, मिडिल और हाई स्कूलों कि लिए ऐसी पाठ्यचर्या विकसित की जा सकती है जिसके अंतर्गत बच्चों को सतत आधार पर महापदा संबंधी जानकारी दी जाती रहे।

(ग) महापदा प्रबंध में कार्यरत **ljdkjh depkfj;ksa dks fy, iz'kf{k.k lqfo/kk,¡** राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महापदा प्रबंध केन्द्र (एन सी डी एम) द्वारा भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली में दी जाती हैं, जो कि देश में महापदा संबंधी प्रशिक्षण, अनुसंधान तथा प्रलेखन की प्रमुख संस्था के रूप में कार्यरत है। राज्य स्तर पर, राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ए टी आई) में स्थापित महापदा प्रबंध कक्ष आवश्यक प्रशिक्षण देते हैं। इस समय ऐसे 24 प्रशिक्षण संस्थानों के पास इसी कार्य के लिए संकाय हैं। महापदा प्रबंध में कार्यरत कार्मिकों के प्रशिक्षण सहित, अन्य लोगों को भी इस विषय का विशिष्ट प्रशिक्षण देना जरूरी है।

(घ) क्षमता निर्माण का कार्य व्यावसायिकों तथा महापदा प्रबंध में कार्यरत कार्मिकों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि समुदाय के आम सदस्यों को भी इसकी जानकारी दी जानी चाहिए और उनकी अभिवृत्ति/रुझान तथा कुशलता बढ़ाने पर ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे कि वे महापदा आने पर उसके प्रभावों का मुकाबला कर सकें। समुदाय में से स्वयंसेवकों का चुनाव करके उन्हें महापदा के समय सर्वप्रथम अपनाये जाने वाले अनुक्रियात्मक उपायों तथा न्यूनीकरण उपायों का प्रशिक्षण देना भी बहुत जरूरी है। सुभेद्य क्षेत्रों में समय–समय पर बचाव अभ्यास (ड्रिल) का भी कार्यक्रम चलाया जाना चाहिए ताकि समुदाय महापदा आने पर तत्परता से उपयुक्त अनुक्रिया कर सके; इससे बहुत–सी बहुमूल्य जानें बचाने में मदद मिलेगी।

7.39 इस प्रकार, महापदा के प्रभावकारी प्रबंध के लिए क्षमता निर्माण का कार्य एक ओर समुदाय तथा स्थानीय अनुक्रियाकर्ताओं पर और दूसरी ओर राज्य तथा राष्ट्र के सांस्थानिक तंत्र पर आधारित तथा आबद्ध है।

lkeqnkf;d Lrj ij u, dk;Øe

7.40 महापदा प्रबंध के किसी भी कार्यक्रम का लक्ष्य एक ऐसा महापदा–प्रतिरोधी तथा स्थितिस्थापक समुदाय बनाना है जो अपने विकास प्रयोजनों को पूरा करने के लिए सुरक्षित जीवन एवं सतत आजीविका से सुसज्जित हो। किसी भी महापदा की स्थिति में प्रथम अनुक्रियाकर्ता समुदाय ही होता है, इसलिए महापदा प्रबंध में सामुदायिक स्तर पर पहल किए जाने की आवश्यकता है। ऐसी पहलकदमी को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक हैं :

(क) महापदा संबंधी शिक्षा, प्रशिक्षण तथा सूचना प्रसार के जरिये **tkx:drk iSnk djuk** आवश्यक है क्योंकि इससे समुदाय महापदाओं का सामना करने के लिए समर्थ बनता है।

(ख) अधिकांश गैर –जसरकारी संगठनों तथा समुदाय – आधारित संगठनों द्वारा समुदाय–आधारित दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए; समुदाय की सहभागिता के प्रभावकारी माध्यम से महापदा प्रबंध प्रणाली सुदृढ़ होगी।

(ग) एक कमजोर/सुभेद्य समुदाय के भीतर कुछ ऐसे वर्ग भी होते हैं जो अधिक कमजोर होते हैं, जैसे स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े, अशक्त तथा शारीरिक रूप से बाधित लोग, जिन्हें विशेष रूप से महापदा की स्थिति में, विशेष देखभाल और ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। ऐसे कमजोर वर्गों की पहचान करने और महापदा आ पड़ने पर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने, राहत, सहायता और चिकित्सा सेवा के रूप में विशेष

सहायता देने के लिए प्रयत्न करने होते हैं।

7.41 इसलिए महापदा के प्रबंध के लिए महापदाओं को कम करने और उन्हें रोकने के सामुदायिक प्रयत्नों और सरकारी तंत्र की ओर से जनता की पहलकदमी को समर्थन तथा सहारा देने के प्रयत्नों के बीच प्रत्यक्ष सामंजस्य होना चाहिए।

;ktuk lc/kh dk;dykik dk ln< djuk

7.42 महापदाओं के व्यापक स्वरूप को देखते हुए और उनके द्वारा की जाने वाली तबाही को जानते हुए, महापदा के न्यूनीकरण तथा निवारण के उपायों पर विपत्ति राहत निधि से किए जाने वाले खर्च के अलावा, योजनाबद्ध व्यय करना भी जरूरी है। प्राकृतिक महापदा प्रबंध कार्यक्रमों की केन्द्रीय सेक्टर की स्कीम व र्ा 1993–94 से कृषि तथा सहकारिता विभाग द्वारा कार्यान्वित की जाती रही है। उसका उद्देश्य महापदा का मुकाबला करने के लिए तैयारी करना है। इसके अंतर्गत महापदाओं के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने के लिए क्षमता को बढ़ाने के उद्देश्य से न्यूनीकरण तथा तैयारी के उपायों पर बल दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रारंभ किए गए प्रमुख कार्यकलापों में शामिल हैं : भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में राष्ट्रीय महापदा प्रबंध केन्द्र (एनसीडीएम) स्थापित करना, 23 राज्यों में 24 महापदा प्रबंध संकाय बनाना, अनुसंधान एवं परामर्श सेवाएं स्थापित करना, महापदाओं की अब तक हुई बड़ी घटनाओं का प्रलेखन करना, और क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करना। इस स्कीम के लिए आठवीं योजना में 6.30 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था, जिसे नौवीं योजना में बढ़ाकर 16.32 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस स्कीम के अंतर्गत एन सी डी एम ने 50 से भी अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए हैं, 1000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया हैं।, इसके आलावा, राज्यों में 24 महापदा प्रबंध केन्द्र स्थापित किए गए हैं जिनमें महापदा प्रबंध संकाय हैं। राज्य स्तर पर 4000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा, कुछ महत्वपूर्ण प्रकाशन तथा श्रव्य–दृश्य प्रशिक्षण मौड्यूल तैयार किए गए है और महापदा की घटनाओं के बारे में प्रलेखन कार्य किया गया है।

7.43 यद्यपि यह स्कीम व्याप्ति–क्षेत्र तथा परिव्यय की दृष्टि से सीमित है, लेकिन देश में प्रशिक्षण तथा अनुसंधान संबंधी कार्यकलापों पर इसका गहरा असर आया हैं। दसवीं योजना में, सभी 28 राज्यों में महापदा प्रबंध के लिए संकाय बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही समुदाय को इस कार्य में साथ लेना, मानव संसाधनों का विकास करना, नियंत्रण कक्ष स्थापित करना और महापदा प्रबंध में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करना जैसे कार्य तो चालू रहेंगे ही। महापदा प्रबंध की शिक्षण–व्यवस्था को सदृढ़ बनाने की आवश्यकता है जिसके लिए विश्वविद्यालयों, ग्रामीण विकास संस्थानों और अन्य प्रमुख शोध संस्थानों में महापदा प्रबंध संकाय स्थापित किए जाएंगे।

7.44 संधारणीयता विकास प्रक्रिया का मूलमंत्र है। जो विकास संबंधी कार्यकलाप महापदा से होने वाली हानि की ओर ध्यान नहीं देते, वे संधारणीय नहीं हो सकते, यानी सतत रूप से आगे नहीं चल सकते। जान–माल का नुकसान, आर्थिक कार्यकलापों में होने वाली हानि, परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण की लागत और पशुओं तथा मनुष्यों के मर जाने से हुई हानि–इन सब हानियों के रूप में महापदाओं से होने वाले कुल नुकसान का हिसाब लगाया जाए तो शायद ही कोई समुदाय या देश उसे अकेला उठा सके। इसलिए सुभेद्य क्षेत्रों में चलने वाली सभी विकास–स्कीमों में महापदा न्यूनीकरण विश्लेषण को शामिल किया जाना चाहिए। इससे परियोजना–विशेष की व्यवहार्यता का आकलन उस क्षेत्र की सुभेद्यता तथा संधारणीयता के लिए अपेक्षित न्यूनीकरण उपायों के संदर्भ में, किया जा सकेगा। पर्यावरण की रक्षा, वनरोपण कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण, भूकंप के झटकों को सह सकने की क्षमता रखने वाले मकानों आदि का निर्माण जैसी आवश्यकताओं को योजनाओं के भीतर उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

7.45 न्यूनीकरण रणनीति का उद्देश्य भविष्य में संकट आने पर होने वाली हानियों को कम करना है। संरचनात्मक न्यूनीकरण प्रयत्नों के अंतर्गत ऐसी संरचनाएं / इमारतें बनाई जा सकती हैं जो भकंप के झटके सह सकें, जैसे रिट्रोफिटेड यानी भूकंप सहने वाली इमारतें अथवा ऐसे ढांचे या संरचनाएं बनाना जिनका पहला काम ही महापदा को रोकना हो, जैसे बाढ़ नियंत्रण ढांचे, बांध, तटबंध, घाट, रिसावदार बांध आदि।

7.46 अलग–अलग संरचनाओं संबंधी न्यूनीकरण उपाय तभी हो सकते हैं जब उनके निर्माण में डिजाइन संबंधी मानकों, निर्माण संहिता (नियमों) और कार्य–निष्पादन संबंधी विशिष्टियों का ध्यान रखा गया हो। निर्माण संहिता का पालन मजबूत संरचनाओं के निर्माण के लिए बहुत ही जरूरी है। इस संहिता के नियम बनाते समय क्षेत्र–विशेष की सुभेद्यता का ध्यान रखा जाना चाहिए। इनका कार्यान्वयन उपयुक्त तकनीकी–कानूनी उपायों के द्वारा किया जाना चाहिए।

7.47 भूमि के उपयोग और निर्माण स्थल संबंधी कार्यकलापों की योजना बनाते समय न्यूनीकरण उपायों की आवश्यकता का

ध्यान रखा जाना चाहिए। खतरनाक इलाकों, जैसे बाढ़–प्रवण मैदानों या सीधे नरम ढालों पर बने मकान आदि महापदाओं के लिए अधिक सुभेद्य होते हैं। विकास परियोजनाओं की डिजाइन या लागत का हिसाब लगाते समय आवश्यक न्यूनीकरण उपायों पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

7.48 महापदा–प्रवण क्षेत्रों में बीमा कराना भी एक अत्यन्त महत्वपूर्ण न्यूनीकरण उपाय है क्योंकि इसके लिए आधारभूत ढांचे की गुणवत्ता का ध्यान रखना होता है और निर्माण–संहिता / नियमों, प्रतिमानों, मार्गनिर्देशों, निर्माण सामग्री की गुणवत्ता आदि के प्रति सचेत रहते हुए सुरक्षा–संस्कृति का पालन करना होता है। महापदा संबंधी बीमा अधिकतर इस सिद्धान्त पर काम करती है कि 'जितना अधिक जोखिम उतना अधिक प्रीमियम, जितना कम जोखिम उतना कम प्रीमियम'; इस प्रकार इससे सुभेद्य क्षेत्रों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है और लोगों को अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षित क्षेत्रों में बसने की प्रेरणा मिलती है।

भावी मार्ग

7.49 बाढ़ और सूखा जैसी प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करने के लिए अनेक योजनागत स्कीमें पहले से ही मौजूद हैं जिनके अंतर्गत बहुत–कुछ किया जा रहा है और आगे भी किया जा सकता है। राज्य सरकारों को मौजूदा योजनागत स्कीमों का पूरा उपयोग करना चाहिए और ऐसी स्कीमों के कार्यान्वयन को प्राथमिकता देनी चाहिए जो विपत्ति द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए सहायक सिद्ध हों। कुछ मामलों में धनराशियों को कुछ स्कीमों से हटाकर कुछ ऐसी दूसरी स्कीमों पर खर्च किया जा सकता है जिनका कार्यान्वयन परिस्थिति का मुकाबला करने में सहायक हो। संकट की स्थिति में, विभिन्न विभागों के बीच धनराशियों का पुनर्विनियोग / पुनराबंटन भी किया जा सकता है।

7.50 योजना आयोग प्राकृतिक महापदाओं से उत्पन्न हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए, योजना संबंधी मामलों में, केन्द्रीय मंत्रालयों / विभागों / राज्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सदा तत्पर रहता है और रहेगा भी। इस हेतु, आवश्यकताओं को यथासंभव सीमा तक पूरा करने के लिए स्कीमों में कुछ समायोजन करने की अनुमति दी जाएगी। ऐसे प्रस्तावों पर तुरंत निर्णय लेने का तंत्र विकसित जाएगा जिनके अंतर्गत धनराशियां एक स्कीम से दूसरी स्कीम में अंतरित की जानी हो, अथवा / और कोई ऐसा परिवर्तन किया जाना हो जो प्राकृतिक महापदा में सहायता देने की मौजूदा पद्धति / स्कीम से हटकर हो अथवा नई स्कीम के लिए हो या प्रक्रिया आदि में कोई छूट दी जानी हो।

7.51 तथापि, किसी भी महापदा की स्थिति में संबंधित राज्य ही पहला अनुक्रियाकर्ता होता है इसलिए इसका मुकाबला करने के लिए कार्य के प्रति समर्पित, प्रशिक्षित, कुशल कार्मिकों की एक टीम बनानी होगी, विशिष्ट उपस्करों कुशल संचार नेटवर्क, और सुसंगत, प्रबुद्ध और सरलता से उपलब्ध डेटाबेस के लिए व्यवस्था करनी होगी। इसी प्रकार, प्रत्येक राज्य में ऐसी योजनागत स्कीम बनाने की आवश्यकता पर विचार करना होगा, जिसका उद्देश्य संचार साधनों को सुदृढ़ बनाने तथा आपाती नियंत्रण कक्ष स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करना होगा जिससे महापदाओं का सामना करने के लिए किए जाने वाले उपायों में समन्वय रहेगा। ऐसी किसी भी स्कीम में नई सांस्थातिक संरचनाओं का निर्माण करने की व्यवस्था नहीं होगी।

7.52 विशेष रूप से बड़ी महापदाओं के संदर्भ में, यह भी जरूरी है कि सभी विकास परियोजनाओं में महापदा के न्यूनीकरण के लिए आवश्यक संघटक अवश्य रखा जाए। बाद में पुनर्निर्माण तथा पुनर्वास पर किए जाने वाले बड़े–बड़े परिव्ययों से बचने के लिए एक संघटकों की व्यवस्था करने की जरूरत होगी जिससे अत्यन्त महापदा–प्रवण क्षेत्रों में विशेष रूप से परियोजनाओं के निर्माण में सहायता मिले और वे परियोजनाएं प्राकृतिक महापदाओं के आघात को सह सकें। ये संघटक योजना के अंतर्गत वित्तपोषित परियोजनाओं की अनुमोदित लागत के ही भाग होंगे।

7.53 दसवीं योजना के लिए संदेश यही है कि सुरक्षित राष्ट्रीय विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए, विकास परियोजनाएं महापदा के न्यूनीकरण के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। जैसी आर्थिक हानियां और विकासात्मक बांधाएं हमारा देश वर्ष–प्रति–वर्ष झेलता आ रहा है, उन्हें देखते हुए आर्थिक दृष्टि से यही उचित प्रतीत होता है कि आज उन उपायों तथा संघटकों पर योजनाबद्ध रीति से कुछ अधिक खर्च कर दिया जाए जो महापदाओं के निवारण तथा न्यूनीकरण में सहायता दे सकते हैं, बनिस्बत इसके कि हमें बाद में पुनरुद्धार तथा पुनर्वास पर इससे कई गुना ज्यादा खर्च करना पड़े। विकासात्मक परियोजनाओं की डिजाइन और विकास की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि महापदाओं को घटाने और उनके प्रभाव को कम करने के पक्ष को भी वह अपनी परिधि में रखे, अन्यथा, विकास संधारणीय एवं सतत नहीं रहेगा और आगे चलकर अधिक कठिनाइयां पैदा करेगा और देश के लिए हानिकारण सिद्ध होगा।